यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी, नैनीताल के वर्ष 07/2015 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री दीपेश कुमार एवं श्री विनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री रवि प्रताप सिंह यादव, वरि. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03.01.2018 से 20.01.2018 तक श्री हनुमान सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2015 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

   (ii) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: छात्रों को चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना एवं सम्बद्ध चिकित्सालय के माध्यम से छात्रों को प्रशिक्षण एवं आमजन को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है। इकाई में नीट के माध्यम से 15% ऑल इंडिया कोटा एवं 85% राज्य कोटे के अन्तर्गत पूरे भारतवर्ष के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

   (iii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	---	---	3805.00	2674.65	4417.74	4291.81	---	1256.28
2015-16	---	---	4565.25	3008.38	3487.12	3337.65	---	1706.34
2016-17	---	---	3717.25	3511.73	3709.35	3680.44	---	234.43
2017-18 (12/2017 तक)	---	---	4026.45	3495.00	2939.00	2536.96	---	933.49

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्तमान तक आवंटित धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	अवशेष धनराशि
1	राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में स्नातक एवं स्नातकोत्तर सीटों की बढ़ोत्तरी	265	265	00

2	राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में एम.बी.बी.एस. सीटों में बढ़ोत्तरी	500 (वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में प्रावधानित)		
3	ट्रामा सेन्टर राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी	200 (वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में प्रावधानित)		
4	राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में जले हुए घावों के उपचार की व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय कार्य यूनिट	657.90 (वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में प्रावधानित)		
5	मल्टीडिसिप्ल्नेरी रिसर्च यूनिट (एम.आर.यू.) की स्थापना	150.90	137.27	13.63
6	लेबोरट्रीज फॉर मेनेजिंग एपेडेमिक एण्ड नेचुरल केलेमिटीज "वी.आर.डी.एल."	130	95.90	34.10

(iv) इकाई को बजट आवंटन राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'स' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. प्रमुख सचिव/ सचिव (चिकित्सा शिक्षा विभाग)

2. अपर सचिव

3. संयुक्त सचिव

3. उप सचिव

4. अनु. सचिव

5. निदेशक

6. प्राचार्य

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी, नैनीताल को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो 'अ'

प्रस्तर-1: चिकित्सकों के नियुक्ति स्थान से गायब रहने के कारण राज्य का उनकी सेवाओं से वंचित रहना एवं रु 10.20 करोड़ की वसूली का लंबित रहना।

शासनादेश संख्या 943/XXVIII(1)/2008-19/2005 TC-IV दिनांक 23/7/2008 के अनुसार: a) 85 प्रतिशत सीटों पर यूपीएमटी से प्रवेशित छात्रों से मात्र 15.00 हजार प्रतिवर्ष की रियायती दर पर एमबीबीएस के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान ट्यूशन फीस ली जानी थी एवं शेष व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था। इन छात्रों को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत उत्तराखंड के दुर्गम/अतिदुर्गम पर्वतीय जनपदों में पाँच वर्ष की संविदा पर अनिवार्य सेवा करनी थी। अभ्यर्थी को उक्त आशय का अनुबंध पत्र प्रवेश के समय भरना अनिवार्य था तथा जो अभ्यर्थी इन शर्तों को नहीं मानेगें उन्हें राज्य कोटे की सीटों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

b) 9 सितंबर 2009 के शासनादेश के अनुसार एआईपीएमटी के माध्यम से प्रवेश लेने वाले छात्रों से दुर्गम/अतिदुर्गम क्षेत्रों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत पाँच वर्ष की सेवा विषयक अनुबंध पत्र भरा जाना था तथा राजकीय सीटों के लिए निर्धारित शुल्क की भांति रियायती दर पर रु 15.00 हजार प्रतिवर्ष की दर से शुल्क लिया जाना था। और जिन छात्रों द्वारा उक्त अनुबंध पत्र नहीं भरा जाएगा उनसे रु 2.20 लाख/वर्ष की दर से शुल्क लिया जाना था। अनुबंध पत्र भरने के संबंध में शासनादेश दिनांक 23/7/2008 की एवं अनुबंध की शर्तें लागू होगी।

c) यदि कोई अभ्यर्थी पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत दुर्गम/अतिदुर्गम क्षेत्रों में पाँच वर्ष की सेवा नहीं करना चाहता है तब संबन्धित अभ्यर्थियों को रु 30 लाख की एक मुश्त धनराशि हर्जाने के रूप में राज्य सरकार के पास जमा की जानी थी।

इकाई के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2008 बैच एवं 2009 बैच के छात्रों द्वारा पूरे पाठ्यक्रम के दौरान रियायती दर रु 15.00 हजार की दर से ट्यूशन फीस दी गयी थी और सभी छात्रों द्वारा उत्तराखंड के दुर्गम/अतिदुर्गम पर्वतीय जनपदों में पाँच वर्ष की संविदा पर अनिवार्य सेवा करने संबंधी शपथपत्र

(Affidavit) भरा गया था तथा सितंबर 2009 शासन द्वारा अनुबंध पत्र (Bond) का प्रारूप अनुमोदित किए जाने के उपरांत दोनों बैच के छात्रों द्वारा उत्तराखंड के दुर्गम/अतिदुर्गम पर्वतीय जनपदों में पाँच वर्ष की संविदा पर अनिवार्य सेवा करने के संबंध में अनुबंध पत्र भरा गया था। वर्ष 2008 बैच के 99 प्रवेशित मेडिकल छात्रों में से 48 छात्र मुख्य परीक्षा (मार्च, 2013) में, 34 छात्र Supplementary परीक्षा (जून, 2013) में, 04 छात्र 2009 के बैच की मुख्य परीक्षा (मार्च, 2014) में, 02 छात्र 2010 के बैच की मुख्य परीक्षा (मार्च, 2015) में, 04 छात्र 2011 बैच की मुख्य परीक्षा (मार्च, 2016) में तथा 01 छात्र 2012 बैच की मुख्य परीक्षा (मार्च, 2017) में पास हुए और 05 छात्र छोड़कर चले गए एवं 01 छात्र की मृत्यु हो चुकी है। उत्तीर्ण 93 छात्रों में से 01 छात्र Internship कर रहा है और 92 छात्रों को Internship के उपरांत उत्तराखंड के दुर्गम/अतिदुर्गम पर्वतीय जनपदों में पाँच वर्ष की संविदा पर अनिवार्य सेवा करने हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उनकी तैनाती हेतु भेजा गया था तथा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा उक्त डाक्टरों की पोस्टिंग की गयी थी। 92 डाक्टरों मे से 35 द्वारा पीजी कोर्स किया जा रहा था तथा शेष 57 मे से 17 डाक्टर अनिवार्य सेवाएँ नहीं दे रहे थे (विवरण संलग्नक 'क' में दिया गया है) और ड्यूटी से गायब (Absconding) थे।

इसी प्रकार वर्ष 2009 बैच के 100 प्रवेशित छात्रों में से 68 छात्र मुख्य परीक्षा (मार्च, 2014) में, 11 छात्र Supplementary परीक्षा (जून, 2014) में, 03 छात्र 2010 के बैच की मुख्य परीक्षा (मार्च, 2015) में, 08 छात्र 2010 के बैच की Supplementary परीक्षा (जून, 2015) में, 02 छात्र 2011 बैच की मुख्य परीक्षा (मार्च, 2016) में, 03 छात्र 2012 बैच की मुख्य परीक्षा (मार्च, 2017) में तथा 01 छात्र 2012 की Supplementary परीक्षा (जून, 2017) में पास हुए, 01 छात्र अध्ययनरत, दो छात्र छोड़ कर चले गये और 01 की मृत्यु हो गयी है। उत्तीर्ण 96 छात्रों में से 05 छात्र Internship कर रहें हैं। 91 छात्रों को Internship के उपरांत उत्तराखंड के दुर्गम/अतिदुर्गम पर्वतीय जनपदों में पाँच वर्ष की संविदा पर अनिवार्य सेवा करने हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उनकी तैनाती हेतु भेजा गया था जिनमें से 15 को कोर्ट के आदेशानुसार राज्य की अनिवार्य सेवा से बरी किया गया था तथा शेष 76 की महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा उक्त डाक्टरों की पोस्टिंग की गयी थी। 76 डाक्टरों मे से 17 द्वारा पीजी कोर्स किया जा रहा था तथा शेष 59 मे से 17 डाक्टर अनिवार्य सेवाएँ नहीं दे रहे थे (विवरण संलग्नक 'ख' में दिया गया है) और ड्यूटी से गायब (Absconding) थे।।

इस प्रकार वर्ष 2008 बैच एवं वर्ष 2009 के 34 पास डाक्टर अनुबंध पत्र भरे जाने के बावजूद दुर्गम/अतिदुर्गम क्षेत्रों के चिकित्सालयों में सेवाएँ न देकर ड्यूटी से चार माह से तीन वर्ष से अधिक की अवधि से गायब थे। जिनमे से गायब रहने की अवधि 8 डाक्टर की तीन वर्ष से अधिक, 8 डाक्टर की दो वर्ष से अधिक एवं 13 डाक्टर की एक वर्ष से अधिक थी। आगे दिनांक 23 दिसंबर 2016 को शासन द्वारा समिति का गठन किया गया था जिसमें संबन्धित मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को सदस्य बनाया गया था तथा समिति को पास आउट बॉन्डधारी चिकित्सकों की सूची, जिनके द्वारा कार्यभार ग्रहण न करते हुए बॉन्ड का अनुपालन नहीं किया गया है, के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने को कहा गया था। अनुबंध की शर्तों के अनुसार सेवाएँ न देने वाले 34 डाक्टरों पर न तो विधिक कार्यवाही की गयी थी और न ही रु 30.00 लाख प्रति व्यक्ति की दर से हर्जाना संबन्धित डाक्टर से वसूला गया था। इस प्रकार राज्य में चिकित्सकों की गंभीर समस्या एवं अत्यधिक कमी के बावजूद एवं रियायती दर (रु 2.20 लाख प्रतिवर्ष के बजाय रु 15000 प्रतिवर्ष) पर चिकित्सा शिक्षा देने के बावजूद राज्य चिकित्सकों की सेवा से वंचित था और हर्जाना वसूल किये जाने संबंधी विधिक कार्यवाही न किये जाने के कारण राज्य की रु 10.20 करोड़ (रु 30.00 लाख X 34) की वसूली नहीं हो पायी थी।
आगे यह भी पाया गया कि अनुबंध प्रपत्र के साथ प्रतिभू (Sureties) व उनके गवाहों (Witnesses) के हस्ताक्षर लिए जाते समय उनके पहचान पत्रों (फोटो पहचान पत्र तथा पते का पहचान पत्र) की राजपत्रित अधिकारी/नोटरी से प्रमाणित छायाप्रतियाँ और प्रतिभू की इस आशय की घोषणा कि उनके पास अमुक अचल संपत्ति है, का समर्थन करने वाले दस्तावेज को जमा कराये जाने का न तो अनुबंध पत्र में प्रविधान किया गया था और न ही अनुबंध पत्र के साथ लिया गया था। तथा छात्र की एमबीबीएस की डिग्री भी नहीं जमा करायी गयी थी।

राज्य के चिकित्सकों की सेवा से वंचित होने और हर्जाना वसूल किये जाने संबंधी विधिक कार्यवाही न किये जाने के कारण रु 10.20 करोड़ (रु 30.00 लाख X 34) की वसूली लंबित रहने के संबंध में पुछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि दिशा निर्देश हेतु निदेशक महोदय से वार्ता हुई है और कार्यवाही गतिमान है। उत्तर मान्य नहीं है कॉलेज स्तर से अभी तक केवल नोटिस भेजे गए थे जबकि शासनादेश के अनुसार बॉन्ड मेडिकल कॉलेज द्वारा भराया गया था और छात्र के मूल अभिलेख भी मेडिकल कॉलेज द्वारा जमा कराये गए थे इसलिए हर्जाने की वसूली संबंधी कार्यवाही मेडिकल कॉलेज स्तर से प्रारम्भ की जानी थी। जैसा कि दिनांक 23 दिसंबर 2016 के शासनादेश में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को सदस्य बनाते हुए विधिक कार्यवाही किए जाने की बात कही गयी थी।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि अनुबंध प्रपत्र भरे जाने के दौरान प्रतिभू व उनके गवाहों पहचान पत्र प्रमाणित छायाप्रतियाँ और प्रतिभू की अचल संपत्ति के समर्थन के दस्तावेज न लिये जाने तथा छात्र की एमबीबीएस की डिग्री भी न जमा कराये जाने से विधिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।

आगे लेखा परीक्षा इस तथ्य से अवगत हुई कि वसूली की कार्यवाही/विधिक कार्यवाही पर विभागों (चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) का उदासीन रवैया था क्योंकि मेडिकल कॉलेज द्वारा बताया गया कि कॉलेज द्वारा डाक्टरों को महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को भेजा गया एवं उनकी नियुक्ति उनके द्वारा की गयी इसप्रकार कार्यवाही की जिम्मेवारी महानिदेशक की है। जबकि महानिदेशक द्वारा गायब डाक्टरों की सूची प्राचार्य को देकर पल्ला झाड़ा गया था।

अतः राज्य के बॉन्डधारी चिकित्सकों की सेवा से वंचित रहने और हर्जाना वसूल न किये जाने से कारण राज्य का रु 11.20 करोड़ की वसूली लंबित रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो 'ब'</u>

प्रस्तर-1: शासनादेश के अनुपालन में कोई कार्यवाही न कर रु 3.60 करोड़ के हर्जाने की वसूली का एक से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी लंबित रहना।

शासनादेश संख्या 943/XXVIII(1)/2008-19/2005 TC-IV दिनांक 23/7/2008 में उल्लिखित किया गया था कि जो अभ्यर्थी प्रवेश की तिथि से सात वर्ष की अवधि के भीतर एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है ऐसे अभ्यर्थी को रु 30.00 लाख की धनराशि हर्जाने के रूप में एकमुश्त जमा करनी होगी तथा उसका राजकीय सेवा में नौकरी का दावा निरस्त माना जाएगा।

मेडिकल कॉलेज के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि बैच 2008 के छात्र के सात वर्ष अगस्त/सितंबर 2015 में पूर्ण हो चुके थे जबकि चार छात्रों ने एवं एक छात्र ने प्रवेश तिथि से सात वर्ष बाद क्रमशः मार्च 2016 की मुख्य परीक्षा में और मार्च 2017 की मुख्य परीक्षा में पास हुए। बैच 2009 के छात्र के सात वर्ष अगस्त/सितंबर 2016 में पूर्ण हो चुके थे जबकि तीन छात्रों ने एवं एक छात्र ने प्रवेश तिथि से सात वर्ष बाद क्रमशः मार्च 2017 की मुख्य परीक्षा में और जून 2017 की Supplementary परीक्षा में पास हुए तथा एक छात्र अभी भी अध्ययनरत है। इसी प्रकार बैच 2010 के छात्रों के, सात वर्ष अगस्त/सितंबर 2017 में पूर्ण हो चुके है परंतु दो छात्र आतिथि तक अध्ययनरत है। छात्रों का विवरण निम्न है:

क्र. सं.	रोल नंबर	बैच वर्ष	छात्र का नाम	पिता का नाम
1	90917	2008	पशीन्द्र प्रताप संधु	श्री हरजी सिंह संधु
2	90498	2008	प्रतीक मल्होत्रा	श्री वीर कुमार मल्होत्रा
3	90920	2008	अनुज कुमार गुप्ता	श्री रविंदर कुमार गुप्ता
4	90514	2008	मोहम्मद सलीम अंसारी	श्री मोहम्मद सफ़ी अंसारी

5	90904	2008	मोहम्मद इरशाद हुसैन सैफी	श्री मोहम्मद इलियास हुसैन सैफी
6	101462	2009	आशीष चौधरी	श्री महेन्दर सिंह
7	101469	2009	तस्लीम अहमद	श्री जमीर अहमद
8	101463	2009	गौरव कुमार	श्री नयन राम आर्या
9	101464	2009	दीपक शर्मा	श्री हेम राज सिंह
10	101465	2009	मोहम्मद रिजवान खान	श्री मोहम्मद युसुफ खान
11	1278350088	2010	भूपेंद्र कुमार घटियाल	श्री दीवान सिंह घटियाल
12	1278350091	2010	निशात अंजुम	श्री मुजफ्फर खान

इस प्रकार पाया गया की उक्त बारह छात्र सात वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद पास हुए या फिर अध्ययनरत है परंतु इन पर शासनादेश के अनुसार हर्जाना रु 30.00 लाख प्रति व्यक्ति नहीं लिया गया था न ही कोई कार्यवाही की गई थी।

इस प्रकार शासनादेश का अनुपालन कर कोई कार्यवाही की नहीं गई थी और रु 3.60 करोड़ के हर्जाने की वसूली एक से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी लंबित थी।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा पुछे जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा को अवगत कराया गया कि शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होने पर संबन्धित कार्यवाही की जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जुलाई 2008 के शासनादेश में उक्त कार्यवाही हेतु पूर्व से ही उल्लिखित था।

अतः शासनादेश का अनुपालन कर कोई कार्यवाही न किए जाने और रु 3.60 करोड़ के हर्जाने की वसूली एक से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी लंबित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो-ब</u>

प्रस्तर-2: मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ☐ 1.52 करोड़ की राशि बीमा कंपनी से वसूल न कर पाना

उत्तराखंड शासन द्वारा फरवरी 2015 में राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (MSBY) लागू करने का निर्णय लिया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक APL तथा BPL परिवार (राजकीय कर्मचारी तथा पेंशनधारी परिवारों को छोड़कर) को नकद रहित चिकित्सा उपचार की सुविधा दी जानी थी , अप्रैल 2015 में राज्य के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस योजना को प्रारम्भ करने के लिए निर्देशित किया गया, इस योजना के अंतर्गत चिकित्सालयों के अन्तः विभाग (IPD) में भर्ती होने वाले सभी रोगियों के लिए चिकित्सालयों को एक पूर्व निर्धारित Pre Authorisation पत्र भरना होगा जिसके साथ लाभार्थी की पहचान संबंधी दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करने होंगे यदि लाभार्थी योजना का लाभ लेने का पात्र है तभी आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी Pre Authorisation पत्र के साथ चिकित्सा से संबन्धित महत्वपूर्ण रिपोर्ट को सलग्न करके तृतीय पक्ष प्रशासक (TPA) को भेजना होगा, चिकित्सा के पश्चात लाभार्थी के छुट्टी (Discharge) से सात दिन के अंदर चिकित्सालय द्वारा विस्तृत डिस्चार्ज विवरण को बीमा कंपनी को उपलब्ध करवाना होगा। चिकित्सालय को बीमा कंपनी द्वारा 30 दिन के अंदर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

कॉलेज के टीचिंग चिकित्सालय डॉ सुशीला तिवारी शासकीय चिकित्सालय में एमएसबीवाई संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 01.06.2015 को यूनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड से एमएसबीवाई के संबंध में अनुबंध किया गया था जिसमे Medsave Health Care Ltd. तृतीय पक्ष प्रशासक (TPA) था , योजना के द्वितीय चरण में दिनांक 16.08.2016 को बजाज एलियान्ज से अनुबंध किया गया था जिसमे Medi Assist India Pvt Ltd तृतीय पक्ष प्रशासक (TPA) था।

चिकित्सालय द्वारा निम्नानुसार दो चरणों में बीमा कंपनियों से ☐1.52 करोड़ दावों की राशि वसूल नहीं की जा सकी है

प्रथम चरण –(01 जून 2015 से 15 अगस्त 2016)- 3883 प्रकरण

दावा की गई राशि –☐ 2,57,78,816/

प्राप्त राशि – ☐2,37,25,354/

अप्राप्त राशि -☐20.53,462/

द्वितीय चरण – (16 अगस्त 2016 से 09 नवंबर 2017)

Preauth Closed -₹10,04,100 (110 प्रकरण)

दावे अस्वीकृत (अंतिम चरण में)-☐28,57,870 (146 प्रकरण)

दावे समाप्त (अंतिम चरण में) -☐28,23,926 (173 प्रकरण)

विचाराधीन दावे - ☐64,50,987 (1034 प्रकरण)

अप्राप्त राशि- ☐1,31,36,883/

कुल अप्राप्त राशि - ☐1,51,90,345/

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि चिकित्सालय में एमएसबीवाई योजना के संचालन में कठिनाइयाँ आ रही थी जैसे, एमएसबीवाई मरीज रेडियोलोजी जाँचे जैसे एक्स रे, सीटी, एमआरआई व अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें अपने साथ ले गए हैं जिससे एमएसबीवाई बिलिंग नहीं हो पा रही है साथ ही रोगियों से संबन्धित दस्तावेज़ (BHT) 07 दिन के अंदर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, एमएसबीवाई रोगियों की शल्य चिकित्सा होने की दशा में वार्डों द्वारा शल्य चिकित्सा का विवरण (ओटी का नाम एवं कोड नंबर) नहीं भरा जा रहा हैं, इसके अतिरिक्त शल्य चिकित्सा एवं रोगियों का डिस्चार्ज तृतीय पक्ष प्रशासक की अनुमति के बिना किया जा रहा है जिससे रोगियों के दावों की बड़ी राशि अवरुद्ध हो रही है

बीमा कंपनी द्वारा दिनांक 07.01.2017 एवं 20 मार्च 2017 से 05 अप्रैल 2017 तक वेब पोर्टल खोला गया था जिसमे चिकित्सालय पुराने दावों को अपलोड कर सकता था, किन्तु दस्तावेज़ पूर्ण न होने के कारण समस्त दावों को अपलोड नहीं किया जा सका था।

इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा अवगत करवाए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि द्वितीय चरण में वेब पोर्टल के अनुसार ☐1,31,36, 883 की राशि चिकित्सालय द्वारा वसूली जानी है जबकि वास्तविक रूप से ☐1,03,18,688 की राशि वसूल की जानी है , तथा दावो के संबंध में बीमा कंपनी को पत्र लिखा जा रहा है

उत्तर मान्य नहीं है, इकाई द्वारा द्वितीय चरण में कम राशि वसूल किए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, बीमा कंपनियों से दो चरणों में ☐1.52 करोड़ की राशि की वसूली न कर पाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक 'क'

नियुक्ति के बाद सेवा से अनुपस्थित डाक्टरों का विवरण (बैच 2008)

क्र0 सं0	डाक्टर का नाम	नियुक्ति की तिथि	तैनाती चिकित्सालय	सेवा में न रहने का विवरण	अवधि (दिसंबर 2017 तक)
1	डा0 अपूर्व प्रताप सिंह	03.03.2014	अति0 पीएचसी चमियाला, टिहरी	मार्च 2015 से अनुपस्थित	2 वर्ष, 8 माह
2	डा0 दर्शिता सिंह	03.03.2014	एसएडी, तुषराड, नैनीताल	जून 2016 से अनुपस्थित	1 वर्ष, 7 माह
3	डा0 प्रियंका	03.03.2014	एसएडी, सेमण्डीधार,	1/6/16 से अनुपस्थित	1 वर्ष, 7 माह

	तिवारी		टिहरी		
4	डा0 रोशना नईम	03.03.2014	एसएडी, नाथुखाल, पौड़ी	योगदान तिथि से अनुपस्थित	3 वर्ष, 9 माह, 29 दिन
5	डा0 श्रुति महावर	03.03.2014	एसएडी, खड़ोगी, टिहरी	23/1/15 से अनुपस्थित	2 वर्ष, 9 माह, 9 दिन
6	डा0 श्वेता सैनी	03.03.2014	एसएडी, कांडीखाल, टिहरी	योगदान तिथि से अनुपस्थित	3 वर्ष, 9 माह, 29 दिन
7	डा0 सुमित चन्द्र कनौजिया	03.03.2014	एसएडी, निसणी, पौड़ी	1/10/14 से अनुपस्थित	3 वर्ष, 1 माह
8	डा0 नन्दिता गौतम	30.06.2014	अति0 पीएचसी सीकु, पौड़ी	1/8/15 से अनुपस्थित	2 वर्ष, 5 माह
9	डा0 सरबजीत सिंह	30.06.2014	जिला अस्पताल, चंपावत	25/8/2014 से अनुपस्थित	3 वर्ष, 4 माह, 7 दिन
10	डा0 वंदना प्रसाद	30.06.2014	अति0 पीएचसी भटवाडी, उत्तरकाशी,	24/7/14 से अनुपस्थित	3 वर्ष, 6 माह, 8 दिन
11	डा0 प्रियंक कुमार चौहान	30.06.2014	एसएडी, बेदीखाल, पौड़ी	मार्च 2016 से अनुपस्थित	1 वर्ष, 10 माह
12	डा0 कपिल उपाध्याय	30.06.2014	सीएचसी, डीडीहाट, पिथौरागढ़	1/8/14 से अनुपस्थित	3 वर्ष, 5 माह
13	डा0 सूबेग सिंह	30.06.2014	अति0 पीएचसी पोखाल, पौड़ी	योगदान तिथि से अनुपस्थित	3 वर्ष, 6 माह
14	डा0 विकास मिश्रा	30.06.2014	सीएमओ, चमोली	योगदान तिथि से अनुपस्थित	3 वर्ष, 6 माह
17	डा0 सौरभ समद्दर	15.04.2015	एसएडी, कुमोला, उत्तरकाशी	12/2/2016 से अनुपस्थित	1 वर्ष, 10 माह, 18 दिन

संलग्नक 'ख'

नियुक्ति के बाद सेवा से अनुपस्थित डाक्टरों का विवरण (बैच 2009)

क्र0 सं0	डाक्टर का नाम	नियुक्ति की तिथि	तैनाती चिकित्सालय	सेवा में न रहने का विवरण	अवधि (दिसंबर 2017 तक)
1	डा0 जफ़ीर अहमद	15.04.2015	एसएडी, गड़ोली, उत्तरकाशी	30/4/16 से अनुपस्थित	1 वर्ष, 8 माह, 1 दिन
2	डा0 कमल सिंह गौनिया	15.04.2015	एसएडी, ताण , चंपावत	1/11/15 से अनुपस्थित	2 वर्ष, 2 माह
3	डा0 मो0 शाह फ़ाहद	15.04.2015	एसएडी, कफ़नौल, उत्तरकाशी	योगदान तिथि से अनुपस्थित	2 वर्ष, 8 माह, 16 दिन
4	डा0 राकेश प्रसाद पटेल	15.04.2015	एसएडी, पुल्ला हिंडोला, चंपावत	25/5/16 से अनुपस्थित	1 वर्ष, 7 माह, 7 दिन
5	डा0 सदफ़ माजिद	15.04.2015	सीएमओ, चमोली	योगदान नहीं किया गया।	2 वर्ष, 8 माह, 16 दिन
6	डा0 सुष्मिता रिंगवाल	15.04.2015	एसएडी, बोहला, बागेश्वर	6/4/17 से अनुपस्थित	8 माह, 25 दिन
7	डा0 सतेन्द्र सिंह	13.07.2015	सीएचसी, पोखरी, चमोली	योगदान नहीं किया गया	2 वर्ष, 5 माह, 19 दिन
8	डा0 दीक्षा छिनवान	19.02.2016	सीएमओ, पौड़ी	योगदान सूचना नहीं दी गयी	1 वर्ष, 11 माह, 11 दिन
9	डा0 श्रुति अग्रवाल	19.02.2016	सीएचसी, चंबा, टिहरी	10/7/16 से अनुपस्थित	1 वर्ष, 6 माह, 22 दिन
10	डा0 अंकिता देवरानी	02.04.2016	सीएमओ, चमोली	योगदान नहीं किया गया	2 वर्ष, 8 माह, 16 दिन
11	डा0 अपूर्वा रौतेला	02.04.2016	सीएमओ, चंपावत	1/7/16 से अनुपस्थित	1 वर्ष, 6 माह
12	डा0 अर्शी शाहीन	02.04.2016	एसएडी, धनियाताल, नैनीताल	20/5/17 से अनुपस्थित	7 माह, 12 दिन
13	डा0 ज्योति रावत	02.04.2016	सीएमओ, पौड़ी	योगदान नहीं किया गया	1 वर्ष, 9 माह, 29 दिन

14	डा0 विदुशी शर्मा	02.04.2016	सीएमओ, चंपावत	31/5/16 से अनुपस्थित	1 वर्ष, 7 माह
15	डा0 पद्मिनी कुमारी गुप्ता	02.04.2016	सीएचसी, देवप्रयाग, टिहरी	06.05.2016 से अनुपस्थित	1 वर्ष, 7 माह, 26 दिन
16	डा0 संदीप कुमार	02.04.2016	सीएमओ, टिहरी	योगदान नहीं किया गया	1 वर्ष, 9 माह, 29 दिन
17	डा0 अभिषेक कुमार	02.04.2016	सीएमओ, वागेश्वर	सितंबर 2017 से अनुपस्थित	4 माह

भाग दो (ब)

प्रस्तर-03- उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत रु. 43.94 लाख के उपकरणों का क्रय।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के मौलिक सिद्धांतों के अनुसार निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाय, अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जायेगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जायेगा, साथ ही वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करते समय अधिप्राप्तिकर्ता प्राधिकारी का मुख्य कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि खर्च की जाने वाली धनराशि का सरकार को समुचित प्रतिलाभ मिले एवं प्रत्येक सरकारी कर्मचारी लोकधन से व्यय करते समय उसी प्रकार की सतर्कता बरतेगा जिस प्रकार सामान्यतः एक बुद्धिमान व्यक्ति निजी धन व्यय करते समय बरतता है

मेडिकल कॉलेज के उपकरणों के क्रय से संबन्धित अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि माह मार्च 2016 में चार क्रय आदेशों के माध्यम से कुल रु. 9.75 लाख के उपकरणों का क्रय किया गया था एवं मार्च 2017 में 20 क्रय आदेशों के माध्यम से कुल रु. 34.19 लाख के उपकरणों का क्रय कोटेशन के माध्यम से किया गया था। इस प्रकार कुल रु. 43.94 लाख के उपकरणों का क्रय निविदा के माध्यम से न करके कोटेशन के माध्यम से किए गए थे। (विवरण संलग्न)

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि विभिन्न विभागों द्वारा अधिकांश संयंत्रों की माँग माह मार्च 2017 में प्रेषित की गयी थी, जिसको निविदा के माध्यम से क्रय किया जाना संभव नहीं था।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभिन्न विभागों द्वारा माँग अगस्त 2016 से मार्च 2017 के मध्य की गयी थी एवं उपकरणों का क्रय उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के मौलिक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए था।

अतः उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत रु. 43.94 लाख के उपकरणों के क्रय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर:4- विभागीय उदासीनता के कारण रु. 203.74 लाख के व्यय के बाद भी उपकरण का विगत 10 वर्षों में से 08 वर्ष तक अनुपयोगी रहना।

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत संचालित स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय हेतु High Dose Rate (HDR) Remote Afterloading Brachytherapy का क्रय वर्ष 2007 में रु. 184.77 लाख में किया गया था एवं उक्त मशीन के अनुरक्षण पर माह जुलाई 2017 तक कुल रु. 18.97 लाख की धनराशि का व्यय किया गया था। इस प्रकार उपकरण पर कुल रु. 203.74 लाख (184.77+18.97) का व्यय किया जा चुका था। वर्तमान में उक्त मशीन उपयोग में नहीं लायी जा रही है तथा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त उपकरण के संचालन हेतु फिजिसिस्ट की आवश्यकता होती है। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि उपकरण के क्रय वर्ष 2007 से वर्तमान तक फिजिसिस्ट केवल अक्टूबर 2012 से जून 2014 तक (21 माह) तथा अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016 तक (04 माह) कुल 25 माह ही उपलब्ध रहे।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि ट्रस्ट के समय विभाग में मेडिकल फिजिसिस्ट के 04 पद स्वीकृत थे परन्तु 2010 में यह मेडिकल कॉलेज उत्तराखण्ड सरकार के अधीन हो गया तथा राज्य सरकार की सेवानियमावली में मेडिकल फिजिसिस्ट के 03 पद समाप्त कर केवल 01 पद स्वीकृत किया गया, जिस कारण से mHDR मशीन/उपकरण को संचालित नहीं किया जा सका। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2010 के बाद भी स्वीकृत 01 पद के सापेक्ष फिजिसिस्ट की नियुक्ति अक्टूबर 2012 से जून 2014 तक तथा अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016 तक (लगभग 02 वर्ष के लिए) ही की जा सकी।

अतः फिजिसिस्ट की नियुक्ति में दिखायी गयी विभागीय उदासीनता के कारण विगत 10 वर्षों में से 08 वर्ष की अवधि में रु. 203.74 लाख (184.77+18.97) के व्यय के बाद भी उपकरण के अनुपयोगी रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
AIR No. 55/2015-16	--	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
AIR No. 55/ 2015-16	प्रस्तरवार अनुपालन आख्या संलग्न की गयी है तथा अनुपालन आख्या में लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी उल्लिखित है।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी, नैनीताल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-**

   शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-**

क्र०सं०	नाम	पदनाम	अवधि
1.	Dr. C.M.S. Rawat	प्राचार्य	15.07.15 से 16.06.16
2.	Dr. C.P. Bhaisora	प्राचार्य	16.06.16 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र